रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239293
CG-DL-E-03102022-239293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] **नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944**
No. 239] **NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

जांच शुरूआत

[मामला संख्याः (एसजी)-03/2022]

विषय- भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के अन्तर्गत कोरिया गणराज्य से "फेरो मोलीबडेनम" के आयातों से संबंधित द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 22/03/2022-डीजीटीआर.—यत:, दि इंडियन फैरो अलाय प्रोड्युसर्स एसोसिएशन (जिसे आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) द्वारा बून मेटल एंड अलॉय कारपोरेशन, प्रीमियर अलॉय एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और टीम फैरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे ''आवेदक घरेलू उद्योग'' भी कहा गया है) के साथ मिलकर भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें कोरिया गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "फैरो मोलीबडेनम" ("फेमो") (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों में वृद्धि जिससे भारत में समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है, का आरोप लगाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी)

1. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फेरो मोलीबडेनम है, जिसे इस अधिसूचना में फेमो भी कहा गया है तथा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975** के एसएस कोड 72027000 के अन्तर्गत आता है। यह एक कठोरकारी एजेंट है जो अनेक अलॉय स्टील में पाया जाता है जो उपचार योग्य होते हैं। इसका प्रयोग अलॉय स्टील, निकल, कोबाल्ट, और टाइटेनियम अलॉय में प्रयोग होता है, जिनका प्रयोग रणनीतिक महत्व के विभिन्न उत्पादों के निर्माण में होता है, जैसे मशीन के कलपुर्जे, सैनिक हार्डवेयर, चुंबकीय अलॉय, विशेष स्टील आदि।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

2. यह आवेदन इंडियन फैरो अलाय प्रोड्युसर्स एसोसिएशन, बून मेटल एंड अलॉय कारपोरेशन, प्रीमियर अलॉय एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और टीम फैरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलकर दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों के पास समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। आवेदक कंपनियां, नियमावली के अन्तर्गत घरेलू उद्योग हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

3. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचारित अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2022 तक की है। आवेदक ने 2021-22 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयातों में अचानक वृद्धि का दावा किया है।

`संबद्ध देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य है जिसे कोरिया आरपी भी कहा गया है।

बढ़े हुए आयात

5. आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि 2018-19 और 2021-22 के बीच उत्पाद के आयातों में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि हुई है। आवेदकों ने टैरिफ रियायतों से पहले कोरिया से उत्पाद के आयातों से संबंधित सूचना दी है। यह देखा गया है कि टैरिफ रियायतों के शुरु होने के पहले और उसके बाद आयातों में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर समयावधि, मात्रा, भारत में कुल आयात और खपत पर विचार करते हुए, काफी अधिक हे।

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति

6. आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री और लाभ जैसे मापदंडों के संबंध में गिरावट आई है। आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि को देखते हुए, द्विपक्षीय रक्षोपाय तत्काल लागू करने का अनुरोध किया है।

7. प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, जिससे भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और बढ़े हुए आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

जांच की शुरुआत

8. यह निर्धारित करने के बाद कि रक्षोपाय जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं, महानिदेशक यह निर्धारित करने के लिए जांच की शुरुआत करना उचित समझते हैं कि क्या कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात बढ़े हुए आयात हैं या क्या बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति का खतरा है।

सूचना प्रस्तुत करना

9. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in को इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह

सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

10. तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

11. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है और विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

12. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को ऊपर विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

13. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले कोई गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है। प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

14." गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

16. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार गोपनीयता के दावे से संतुष्ट नहीं है तो वह पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश प्राप्त होने के सात(7) दिनों के भीतर दावे पर आपत्ति कर सकता है।

17. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

18. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

19. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध साझा करना

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें । क्योंकि वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

असहयोग

21. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September 2022

INITIATION

[Case No. (SG) - 03/2022]

Subject: - Initiation of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of "Ferro Molybdenum" from Korea RP under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/03/2022-DGTR.—Whereas, an application has been filed under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the "Rules") by The Indian Ferro Alloy Producers' Association (hereinafter also referred to as the "applicant") together with Boon Metal & Alloy Corporation, Premier Alloys & Chemicals Private Limited and Team Ferro Alloys Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicant domestic industry"), alleging increased imports of "Ferro Molybdenum" ("FeMO") (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods") from Korea RP (also referred to as the "subject country") causing serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product in India.

Product under consideration (PUC)

1. The product under consideration in the present investigation is Ferro Molybdenum also described as FeMO in this notification, falling under the HS code 72027000 of the Customs Tariff Act, 1975. It is a hardening agent found in many alloy steels that are heat treatable. It is used in alloy steel, nickel, cobalt, and titanium alloys which are used for the manufacture of various products of strategic importance such as machine parts & tools, military hardware, magnetic alloys, special steel etc.

Domestic industry and Standing

2. The application has been filed by The Indian Ferro Alloy Producers' Association along with Boon Metal & Alloy Corporation, Premier Alloys & Chemicals Private Limited and Team Ferro Alloys Private Limited. The applicant companies account for major proportion of the total domestic production of like or directly competitive goods. The applicant companies constitute the domestic industry under the Rules

Period of Investigation (POI)

3. The period considered for the purpose of the present investigation is from April, 2018 to March, 2022. The applicants have claimed surge in imports in Q3 and Q4 of 2021-22.

Subject Country

4. The country involved in the present investigation is Republic of Korea, also stated as Korea RP.

Increased Imports

5. The applicant has claimed that the imports of the product under consideration have increased in absolute terms and in relation to the production and consumption in India. It is noted that there is a sudden, sharp and significant increase in imports of the product between 2018-19 and 2021-22. The applicants have provided information relating to the imports of the product from Korea before tariff concessions. It is seen that there is a significant increase in imports before and after the tariff concessions started. The rate of increase in imports of the subject goods is significant considering the duration, the quantum, the total imports and the consumption in India.

Serious Injury to the domestic industry

6. The applicant has claimed that the increased imports of the product under consideration have caused serious injury to the domestic producers. The market share of the Indian industry has declined, whereas the market share of subject imports has increased. The information provided by the applicant shows that the performance of the domestic industry has declined in respect of parameters such as production, capacity utilisation, sales, and profits. The applicant has requested for immediate imposition of bilateral safeguard measures in view of the significant increase in imports of the subject goods from the subject country.

7. The Authority finds that there is prima facie evidence that the imports of the product under consideration have increased in absolute and relative terms, causing serious injury to the domestic producers of the like article in India, and there is causal link between increased imports and serious injury caused to the domestic industry.

Initiation

8. Having determined that there is prima facie evidence to justify initiation of the safeguard investigation, the Director General considers it appropriate to initiate the investigation in order to determine whether the imports of the product under consideration from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry.

Submission of information

9. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in within 30 days of receipt of this notice. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

10. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules

11. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit specified above.

12. All known interested parties are being informed separately to enable them to file the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit specified above. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit specified above.

13. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

14. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

15. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

16. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. In case any interested party is not satisfied on the claim of confidentiality the party can raise an objection on the claim within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the documents

17. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied, the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

18. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

19. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Sharing of responses/ submissions amongst interested parties

20. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the non-confidential version of the submissions made to all other interested parties. The public file will not be accessible physically due to the ongoing pandemic.

Non-cooperation

21. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.03 16:30:11 +05'30'